न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 29/2024
सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 10/2025

राजस्थान सरकार जरिये, हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, हाल जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), अजमेर।

...........**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री जावेद हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन मैसर्स के.जी.एन. कार बाजार ब्यावर रोड, पीसांगन, जिला अजमेर
2. श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह नवान राजपूतों का मौहल्ला, पीसांगन, सेठन जिला अजमेर पुलिस थाना पीसांगन।

...........**अप्रार्थी**

उपस्थित :-

श्री मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक		पेरोकार सरकार
श्री लेखराज साहू	अभिभाषक	अप्रार्थी 1 व 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
(सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक– 11.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) हमराह श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, संयुक्त जांच दल मैसर्स के.जी.एन कार बाजार, ब्यावर रोड, पीसांगन अजमेर श्री जावेद हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन निवासी नया बाजार, पीसांगन पर पहुँचे। मौके पर एक मारूति वैन (ओमनी) गाडी RJ-14-UE-4533 243.2 में एक इण्डेन कम्पनी के घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिसका एसआर नम्बर 870143 पी टेयर वेट 15.7 किगा ग्रोसवेट 24.5 लगाकर मारूति वैन में घरेलू सिलेण्डर से गैस ईधन के रूप में रिफलिंग मशीन (विधुत चालित) से भरना पाया गया। मौके पर श्री जावेद हुसैन से पूछने पर बताया कि वह स्वयं के.जी.एन कार बाजार का मालिक है और गाडियों में रिफलिंग मशीन से गैस करने का कार्य करता हूँ। एक घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा को गाडी में भरने पर गाडी मालिक से 900/– रूपये लेता हूँ और घरेलू गैस सिलेण्डर पीसांगन इण्डेन गैस सर्वित से अपनी स्वयं की गैस डायरी तथा पडौसियों की गैस डायरी से प्राप्त करता हूँ। गैस एजेन्सी द्वारा मुझे 810/– रूपये में सिलेण्डर दिया जाता है और मैं यह कार्य आर्थिक लाभ के लिए करता हूँ। मौके पर गैस संबधी कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर के.जी.एन कार बाजार की जांच करने पर 07 घरेलू सिलेण्डर पाये गये, जो सभी इण्डेन कम्पनी के है, मौके पर श्री जावेद हुसैन द्वारा मारूति वैन (ओमनी) RJ-14-UE-4533 243.2 में घरेलू सिलेण्डर में अवैध रिफलिंग करने पर मौके से 08

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन तथा मारूति वैन गाड़ी को जब्त कर राजहित में कब्जेराज लिया गया। मौके पर सुपुर्दगीनामा पृथक से लिखकर 08 सिलेण्डर व एक रिफलिंग मशीन श्री बिशन सिंह कार्मिक पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस को तथा मारूति वैन (ओमनी) श्री अनिल पुत्र श्री तुलसीराम निवासी आलनियावास, तहसील भैरूंदा हाल पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस थाना पीसांगन बेल्ट नं0 2002 को अग्रिम कार्यवाही तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना होने के कारण 08 सिलेण्डरो, 01 रिफलिंग मशीन को राजहित में जब्त किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 08 घरेलू सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन तथा मारूति वैन (ओमनी) RJ-14-UE-4533 243.2 को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की और से श्री लेखराज साहू अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की और से सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज करवाने हेतु पृथक से प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को मूल प्रार्थना पत्र एवं सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) हमराह श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, संयुक्त जांच दल मैसर्स के.जी.एन कार बाजार, ब्यावर रोड, पीसांगन अजमेर श्री जावेद हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन निवासी नया बाजार, पीसांगन पर पहुँचे। मौके पर एक मारूति वैन (ओमनी) गाडी RJ-14-UE-4533 243.2 में एक इण्डेन कम्पनी के घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिसका एसआर नम्बर 870143 पी टेयर वेट 15.7 किगा ग्रोसवेट 24.5 लगाकर मारूति वैन में घरेलू सिलेण्डर से गैस ईधन के रूप में रिफलिंग मशीन (विधुत चालित) से भरना पाया गया। मौके पर श्री जाकिर हुसैन निवासी नया बाजार पीसांगन उपस्थित मिला तथा एक अन्य व्यक्ति श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सायर सिंह, निवासी सेठन, तहसील पीसांगन भी उपस्थित मिला। मौके पर श्री जावेद हुसैन से पूछने पर बताया कि वह स्वयं के.जी.एन कार बाजार का मालिक है और गाडियों में रिफलिंग मशीन से गैस करने का कार्य करता हूँ। एक घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा को गाडी में भरने पर गाडी मालिक से 900/- रूपये लेता हूँ और घरेलू गैस सिलेण्डर पीसांगन इण्डेन गैस सर्वित से अपनी स्वयं की गैस डायरी तथा पडौसियों की गैस डायरी से प्राप्त करता हूँ। गैस एजेन्सी द्वारा मुझे 810/- रूपये में सिलेण्डर दिया जाता है और मैं यह कार्य आर्थिक लाभ के लिए करता हूँ। मौके पर गैस संबधी कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर मौजूद व्यक्ति श्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि यह गाडी वह स्वयं लेकर आया है। उक्त गाडी का मालिक मेरा भतीजा है जिसका नाम सज्जन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह निवासी सेठन है, गाडी में एक सिलेण्डर भरने के 900/- रूपये में श्री जावेद हुसैन से बात हुई। मौके पर के.जी.एन कार बाजार की जांच करने पर 07 घरेलू सिलेण्डर पाये गये, जो सभी इण्डेन कम्पनी के है, मौके पर ही नजदीक गैस एजेन्सी पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस के कार्मिक श्री बिशन सिंह उपस्थित हुए जिनके द्वारा समस्त 08 सिलेण्डरो

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

(लोक ...)
जिला कलक्टर, अजमेर

की तौल सबंधी कार्यवाही प्रमाणित तौल कांटे से की गई। मौके पर श्री जावेद हुसैन द्वारा मारूति वैन (ओमनी) RJ-14-UE-4533 243.2 में घरेलू सिलेण्डर में अवैध रिफलिंग करने पर मौके से 08 सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन तथा मारूति वैन गाडी को जब्त कर राजहित में कब्जेराज लिया गया। मौके पर सुपुर्दगीनामा पृथक से लिखकर 08 सिलेण्डर व एक रिफलिंग मशीन श्री बिशन सिंह कार्मिक पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस को तथा मारूति वैन (ओमनी) श्री अनिल पुत्र श्री तुलसीराम निवासी आलनियावास, तहसील भैरूंदा हाल पुलिस कॉन्स्टेबल पुलिस थाना पीसांगन बेल्ट नं0 2002 को अग्रिम कार्यवाही तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना होने के कारण 08 सिलेण्डरो, 01 रिफलिंग मशीन को राज हित में जब्त किया गया। मौके पर श्री बिशन सिंह कार्मिक पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	494210 S	IOCL	15.9	15.9	-
2	502823 S	IOCL	15.6	15.6	-
3	372879	IOCL	15.4	15.4	-
4	152445	IOCL	15.5	15.5	-
5	251508	IOCL	16.6	16.6	-
6	079362	IOCL	15.6	15.6	-
7	895885	IOCL	15.8	15.8	-
8	870143 P	IOCL	15.7	24.5	8.8

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

सिलेण्डर को श्री बिशन सिंह कार्मिक पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 08 घरेलू सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन तथा मारूति वैन (ओमनी) RJ-14-UE-4533 243.2 को राजसात करने के आदेश प्रदान करे ।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे पिताजी की के.जी.एन मोटर्स के नाम की वाहन रिपेयरिंग की दुकान है उस दिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी मैं दुकान पर था। मेरे मौहल्ले वाले खेती का काम करते है इसलिए गैस की टंकी भराने के लिये मुझे हमेशा ही डायरी देते थे इसलिए पडौसी होने के नाते में डायरी से गैस भराकर टंकी रख देता हूं तथा साथ खाली टंकीया पडौसी रख जाते थे। मौके पर सभी टंकीया खाली थी। उक्त प्रकरण में मौके की कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उक्त प्रकरण में मुझे झूठा फसाया गया है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

अतः प्रकरण का निस्तारण कर मुझे बरी किया जावे व मेरे पडोसियो की टंकीया सुपुर्द की जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाहन प्रार्थी के आजीविका का एक मात्र साधन है। वाहन संख्या आर.जे. 14 यू ई 4533 ओमनी गाडी का उक्त जगह के.जी.एन मोटर्स पर गैस किट सही करा रहा था। प्रकरण में मुझे झूठा फसाया गया है। अतः वाहन को छोड़ा जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 21.09.2024 को हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) हमराह श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, संयुक्त जांच दल मैसर्स के.जी.एन कार बाजार, ब्यावर रोड, पीसांगन अजमेर श्री जावेद हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन निवासी नया बाजार, पीसांगन पर पहुँचे। मौके पर एक मारूति वैन (ओमनी) गाडी RJ-14-UE-4533 243.2 में एक इण्डेन कम्पनी के घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिसका एसआर नम्बर 870143 पी टेयर वेट 15.7 किगा ग्रोसवेट 24.5 लगाकर मारूति वैन में घरेलू सिलेण्डर से गैस ईधन के रूप में रिफलिंग मशीन (विधुत चालित) से भरना पाया गया। मौके पर श्री जावेद हुसैन से पूछने पर बताया कि वह स्वयं के.जी.एन कार बाजार का मालिक है और गाडियों में रिफलिंग मशीन से गैस करने का कार्य करता हूँ। एक घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा को गाडी में भरने पर गाडी मालिक से 900/- रूपये लेता हैं और घरेलू गैस सिलेण्डर पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस से अपनी स्वयं की गैस डायरी तथा पडौसियों की गैस डायरी से प्राप्त करता हूँ। गैस एजेन्सी द्वारा मुझे 810/- रूपये में सिलेण्डर दिया जाता है और मैं यह कार्य आर्थिक लाभ के लिए करता हूँ। मौके पर गैस संबधी कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर मौजूद व्यक्ति श्री गजेन्द्र सिंह ने बताया कि यह गाडी वह स्वयं लेकर आया है। उक्त गाडी का मालिक मेरा भतीजा है जिसका नाम सज्जन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह निवासी सेठन है, गाडी में एक सिलेण्डर भरने के 900/- रूपये में श्री जावेद हुसैन से बात हुई। मौके पर के.जी.एन कार बाजार की जांच करने पर 07 घरेलू सिलेण्डर पाये गये, जो सभी इण्डेन कम्पनी के है, मौके पर ही नजदीक गैस एजेन्सी पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस के कार्मिक श्री बिशन सिंह उपस्थित हुए जिनके द्वारा समस्त 08 सिलेण्डरो की तौल सबंधी कार्यवाही प्रमाणित तौल कांटे से की गई। मौके पर श्री जावेद हुसैन द्वारा मारूति वैन (ओमनी) RJ-14-UE-4533 243.2 में घरेलू सिलेण्डर में अवैध रिफलिंग करने पर मौके से 08 सिलेण्डर, 01 रिफलिंग मशीन तथा मारूति वैन गाडी को जब्त कर राजहित में कब्जेराज लिया गया। अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे अप्रार्थी निर्दोष साबित हो। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1) (सी) की अवहेलना की गई हैं। लिहाजा जब्तशुदा 08 सिलेण्डरो, 01 रिफलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। इस न्यायालय को कब्जेराज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्राप्त है। चूंकि मारूति वैन (ओमनी) गाडी RJ-14-UE-4533 में अवैध रूप से गैस भराये जाने से उक्त वाहन का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन स्वामी ने उक्त वाहन को निर्मुक्त करने का निवेदन किया है। लिहाजा वाहन मारूति वैन (ओमनी) गाडी RJ-14-UE-4533 को अवैध गैस रिफलिंग के उपयोग में लाये जाने कारण वाहन पर रूपये 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि राजकोष में जमा कराने पर वाहन मारूति वैन (ओमनी) गाडी RJ-14-UE-4533 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या [illegible]0/2025 का निस्तारण इसी आदेश में किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर